

न्यायालय-प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के
प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वानी
(समक्ष-अखिलेश जोशी)

क्षतिपूर्ति प्रकरण क.60 / 2016

संस्थित दिनांक 10.2.2016

1. पारसल बाई पति रामदास, आयु-35 वर्ष,
जाति बंजारा, व्यवसाय गृहकार्य,
2. सुनीता पिता रामदास, आयु-15 वर्ष,
जाति बंजारा, व्यवसाय-कुछ नहीं,
3. भारत पिता रामदास, आयु-13 वर्ष,
जाति बंजारा, व्यवसाय कुछ नहीं,
4. रेशनी पिता रामदास, आयु-11 वर्ष,
जाति बंजारा, व्यवसाय-कुछ नहीं
5. रवीना पिता रामदास, आयु-09 वर्ष,
जाति बंजारा, व्यवसाय-कुछ नहीं,
6. मीनाक्षी पिता रामदास, आयु-07 वर्ष,
जाति बंजारा, व्यवसाय-कुछ नहीं,
प्रार्थी क्रमांक 2 से लगायत 6 अज्ञान तर्फे,
संरक्षक जनक माता पारसलबाई पति रामदास,
सभी निवासी-ग्राम मेणीमाता, तह. बड़वानी,
जिला-बड़वानी म.प्र.

:-आवेदकगण

वि रू द्ध

1. बालकृष्ण पिता देवीसिंह,
निवासी-129 यादव नगर, इंदौर म.प्र.,
हा.मु. जुलवानिया जिला-बड़वानी (म.प्र.)
2. बण्डया पिता मंगतु बंजारा,
आयु-65 वर्ष, व्यवसाय-कुछ नहीं,
निवासी-ग्राम मेणीमाता, तह व जिला बड़वानी
3. सोमली बाई पति बण्डया,
आयु-60 वर्ष, व्यवसाय-कुछ नहीं,
निवासी-ग्राम मेणीमाता तह. व जिला-बड़वानी

:-अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा	:- श्री राजेश मुकाती अधिवक्ता।
अनावेदकगण	:- एकपक्षीय

--:: अधि-निर्णय ::--
(आज दिनांक 20/07/2016 को पारित)

1— आवेदकगण ने यह क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र विपक्षीगण के विरुद्ध 160, 140 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 5-11-15 के रात 2 बजे ए.बी.रोड़ पेट्रोल पंप के पास ठीकरी में हुई दुर्घटना में रामदास की मृत्यु के संबंध में 25,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि हेतु प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में निर्विवादित तथ्य यह है कि विपक्षीगण को सूचना पत्र तामिल उपरांत अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

3— आवेदकगण का क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र इस प्रकार है कि रामदास घटना दिनांक 5-11-2015 को वाहन आयशर एम.पी.09-जी.एफ-0115 में स्वयं द्वारा उत्पादित प्याज बेचने के लिये मेणीमाता से इंदौर जा रहा था। टायर पंचर हो जाने से उक्त वाहन सड़क पर खड़ा था। उक्त वाहन के चालक ने बिना संकेतक, सूचना के व्यस्त आवागमन के मध्य वाहन को खड़ा कर दिया था। टायर निकाला जा रहा था, इसी दौरान रामदास, रमेश आदि वाहन से उतरे, तब जुलवानिया की ओर से अज्ञात वाहन ने उपेक्षापूर्वक खड़े किये गये वाहन को लापरवाही से कास करते हुये रामदास और रमेश को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गये, रामदास की मृत्यु हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। रामदास टक्कर लगने के बाद खड़े हुये ट्रक से भी टकराया। इस प्रकार घटना उक्त आयशर एम.पी.09-जी.एफ-0115 को लापरवाहीपूर्वक पार्क करने और चालक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में बरती गई लापरवाही के कारण हुई है। उक्त वाहन में माल के मालिक की सुरक्षा को नजर अंदाज किया गया। घटना के पूर्व खेती से पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। आवेदकगण उक्त आय पर आश्रित थे। आवेदकगण ने विभिन्न मदों में पच्चीस लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की।

4— विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, उनकी ओर से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- 5— इस अधिकरण के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
- 1— क्या दिनांक 5-11-2015 के रात 2 बजे ए.बी. रोड़ पेट्रोल पंप के पास ठीकरी में वाहन ट्रक एम.पी.09-जी.एफ-0115 के चालक द्वारा उपेक्षापूर्ण रूप से उक्त वाहन को रोड़ के मध्य में खड़ा कर देने के कारण रामदास को अज्ञात वाहन के चालक द्वारा टक्कर मारने एवं रामदास के उक्त वाहन आयशर से टकराने से आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई ?
- 2अ— क्या आवेदकगण विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी है ?
- 2ब— कितनी राशि किससे ?
- 3— सहायता एवं व्यय ?

विचारणीय प्रश्न 1 के संबंध में :-

- 6— आवेदकगण ने उनके पक्ष समर्थन में आवेदक साक्षी क. 1 भारत और क्रमांक 2 सुरसिंग को परीक्षित कराया है और प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 3 तक दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 7— आवेदक साक्षी क्रमांक 1 भारत ने उसके मुख्य परीक्षण में कहा है कि पारसलबाई उसकी माता है अन्य आवेदकगण उसकी बहनें हैं और बण्डया और सोमली बाई उसके दादा, दादी हैं। उसके पिता रामदास घटना दिनांक 5-11-2015 को उनके द्वारा उत्पादित प्याज विक्रय हेतु इंदौर वाहन एम.पी.09-एम.एफ-0115 में ले जा रहे थे। रात 2 बजे आयशर वाहन का टायर पंचर हो जाने से बिना कोई पार्किंग लाईट एवं बिना कोई रूकावटी संकेत लगाये ट्रक को रोड़ के बीच में खड़ा कर टायर बदल रहा था, तब रामदास और एक अन्य व्यक्ति आयशर में से उतरे। आयशर के चालक ने टायर बदलने में सहयोग देने का कहा, जब उसके पिता आयशर के पास से ड्राइवर के पास गुजर रहे थे, तब जुलवानिया तरफ से एक अज्ञात वाहन ने तेजी, लापरवाही से वाहन चलाया और रोड़ पर अंधेरा होने से एवं आयशर वाहन में कोई संकेत सूचना न होने से आयशर के टकराने से बचने के लिये आयशर के साईड से जा रहे रामदास को टक्कर मार दी, जिससे रामदास आयशर वाहन से टकराया और साथ में चल रहे रमेश को भी चोटें आई। रामदास की मृत्यु हो गई। आगे साक्षी का कथन है कि वह स्वयं भी आयशर में बैठा हुआ था, वह नीचे उतरा और रामदास और रमेश को थाना ठीकरी ले गया, थाने पर उसने पूरा विवरण बताया। घटना आयशर वाहन एम.पी.09-जी.एफ-0115 के चालक द्वारा बिना संकेत सूचक के रोड़ पर खड़ा कर देने से एवं वाहन के उपेक्षापूर्ण उपयोग से हुई है। आगे इस साक्षी का कथन है कि

उसके पिता उक्त वाहन आयशर में माल के मालिक के रूप में यात्रा कर रहे थे।

8— आगे अ.सा.क्र. 3 सुरसिंग ने उसके मुख्य परीक्षण में कहा है कि रामदास घटना के समय स्वयं के प्याज भरकर एम.पी.09—जी.एफ—0115 में भरकर इंदौर की ओर जा रहे थे। उसका वाहन पंचर होकर वाहन रोड़ पर खड़ा था। अज्ञात वाहन की टक्कर से आयशर वाहन के टकराने से रामदास की मृत्यु हो गई थी।

9— आवेदकगण ने अपराध क्रमांक 332/15 धारा 279, 337, 304ए भादवि की सत्यापित प्रति प्र.पी. 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 2, रामदास की भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्र.पी. 3 प्रस्तुत की है। प्र.पी. 1 की एफ.आई.आर की प्रति के अनुसार घटना दिनांक 5-11-2015 के 2 बजे रात को रामदास, भारत, रमेश आदि आयशर वाहन एम.पी. 09—जी.एफ—0115 में प्याज भरकर इंदौर प्याज बेचने के लिये जा रहे थे। 2 बजे टायर पंचर हो जाने से टायर बदल रहे थे, तब रामदास और रमेश गाड़ी से नीचे उतरे थे, तब जुलवानिया की ओर से एक वाहन चालक ने उसके वाहन को तेजी, लापरवाही से चलाया, रामदास और रमेश को टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें चोटें आई थी। रामदास की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी एवं रमेश को चोटें आई। अज्ञात ट्रक का वाहन चालक भगाकर ले गया था, इसी आशय की रिपोर्ट भारत ने दिनांक 5-11-2015 को की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 2 के अनुसार रामदास की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप होना बताया गया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से आवेदक साक्षीगण की साक्ष्य का समर्थन होता है।

10— विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से आवेदक साक्षीगण का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में अधिकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही निराकरण किया जाता है। आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज अधिकतर महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। प्र.पी. 1 की एफ.आई.आर में यद्यपि रामदास को अज्ञात वाहन से टक्कर लगने के बाद आयशर वाहन से टकराने का उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिकरण में भारत ने टायर बदलने के दौरान रमेश, रामदास का नीचे उतरना, रामदास रमेश से टायर बदलने में सहयोग मांगे जाने पर अज्ञात ट्रक द्वारा रामदास, रमेश को टक्कर लगना एवं रामदास का आयशर ट्रक से टकराना बताया है। उक्त कथनों का कोई खण्डन नहीं हुआ है, इसलिये उन पर अविश्वास करने का कोई कारण अधिकरण के समक्ष नहीं है। इस प्रकार अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर यह प्रमाणित है कि दुर्घटना आयशर वाहन चालक द्वारा उपेक्षापूर्ण वाहन को रोड़ के मध्य में खड़ा कर बिना आपातकालीन संकेत लगाये टायर बदलने एवं टायर निकालने में सहयोग करने जा रहे रामदास को अज्ञात

वाहन द्वारा उपेक्षापूर्ण चालन से टक्कर लगने और रामदास के आयशर वाहन से टकराने में आई चोटों के फलस्वरूप रामदास की मृत्यु हुई है।

11— आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत— एस.डी. पाटील एवं अन्य विरुद्ध श्रीमती वत्सला उत्तम मोरे दुर्घटना दावा निर्णय पृष्ठ 96, उच्चतम न्यायालय में मोटर यान अधिनियम में व्यापक भावाबोध में उस कालावधि को भी वाहन के उपयोग में लेना कहा है, जबकि वाहन चल नहीं रहा है और यांत्रिक त्रुटि के कारण खड़ा है, इसी बिंदु पर न्याय दृष्टांत—पुत्तुलाल एवं अन्य विरुद्ध श्रीमती मिल्लों 1996 दुमुप्र 167 भी आवेदकगण के लिये सहायक है। मोटर यान अधिनियम की धारा 122 अनुसार वाहन के भार साधक व्यक्ति का दायित्व है कि वह वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ऐसी स्थिति में नहीं रहने देगा, जबकि अन्य व्यक्तियों, यात्रियों को खतरा या असुविधा हो।

विचारणीय प्रश्न 2अ व 2ब के संबंध में:—

12— आवेदकगण ने क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया है कि रामदास 35 वर्षीय खेती करने वाला व्यक्ति होकर पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था, जिस पर आवेदकगण आश्रित थे। आवेदकगण उक्त आय से वंचित हो गये हैं। आवेदकगण ने पच्चीस लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

13— आवेदक साक्षी क. 1 भारत ने भी उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कहा है कि रामदास स्वस्थ होकर खेती से पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह अर्जित करता था और परिवार का पालन पोषण करता था। आवेदकगण उस पर आश्रित थे। आवेदकगण उक्त आय से वंचित हो गये हैं। भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की प्रति 3 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार रामदास के नाम से ग्राम मेणीमाता में कृषि भूमि थी। इस प्रकार रामदास का खेती करना प्रमाणित है। खेती से आय व्यय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, फिर भी मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि रामदास के कृषि भूमि के रकबे को देखते हुये उसे पाँच हजार रुपये मासिक की शुद्ध आय होती होगी, इस आधार पर उसकी वार्षिक आय 60,000/— रुपये होना मानी जा सकती है। न्याय दृष्टांत— सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एवं अन्य, 2009 भाग 4, एम0पी0एल0जे0 96, में आश्रितों की संख्या 5 से अधिक होने पर 1/5 भाग राशि की कटौती किया जाना उचित माना गया है। इस आधार पर आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता 48,000/— रुपये होती है।

14— गुणक पद्धति से प्रतिकर निर्धारण उचित है। न्याय दृष्टांत— सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एवं अन्य, 2009 भाग 4, एम0पी0एल0जे0 96, केरल राज्य परिवहन निगम बनाम सुसम्मा थॉमस, ए0आई0आर0, 1994 एस.सी. 1631 और न्यायदृष्टांत खुशनुमा बेगम बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2001 ए.सी.जे. 428 एस.सी. अवलोकनीय है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 2 के अनुसार रामदास की उम्र 35 वर्ष बताई गई है, इस प्रकार मृतक 36 से 40 आयु वर्ग का सदस्य होना प्रतीत होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत—**सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एवं अन्य, 2009 भाग 4, एम0पी0एल0जे0 96,** में 36 से 40 वर्ग के सदस्य हेतु 15 का गुणक दर्शाया गया है, इसे लागू करने पर यह राशि 7,20,000/— रुपये होती है, यह राशि आवेदकगण आय में क्षति के संबंध में पाने के अधिकारी है।

15— रामदास की मृत्यु हो जाने से आवेदिका पारसलबाई को वैधव्य का सामाना करना पड़ा है व प्रेम, स्नेह, सहाचर्य से वंचित हुई है, इस संबंध में वह एक लाख रुपये की राशि पाने की अधिकारी है। शेष आवेदकगण भी रामदास की मृत्यु से प्रेम, स्नेह, संरक्षण, मार्गदर्शन से वंचित हुये हैं, इस संबंध में वे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये की राशि पाने के अधिकारी हैं। अंतिम संस्कार के संबंध में पच्चीस हजार रुपये की राशि पाने के अधिकारी हैं। आवेदकगण उक्त समस्त मदों में 9,70,000/—की राशि पाने के अधिकारी हैं।

विचारणीय प्रश्न क्र. 3 सहायता एवं व्यय:—

16— आवेदकगण ने क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र में पच्चीस लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है। आवेदकगण कुल 9,70,000/— (अक्षरी नौ लाख सत्तर हजार रुपये) की राशि विपक्षीगण 1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथकतः पाने के अधिकारी हैं। आवेदकगण उक्त देय राशि पर आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक 4-1-2016 से भुगतान दिनांक तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पाने के भी अधिकारी हैं।

17— आवेदिका क्र. 1 को देय क्षतिपूर्ति राशि में से एक लाख रुपये तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगद दी जावे एवं शेष राशि आवेदकगण 1 लगायत 6 में बराबर —बराबर दी जावे। आवेदक क्र. 2 लगायत 6 को देय राशि उनकी वयस्कता प्राप्ति तक सावधि जमा योजना में जमा की जावे एवं आवेदिका क्र. 1 को दी गई राशि में से 50 प्रतिशत राशि नगद एवं 50 प्रतिशत राशि 3 वर्ष के लिये सावधि जमा योजना में जमा की जावे।

18— अतः प्रकरण में निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि:—

अ— विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 3 संयुक्ततः एवं पृथकतः आवेदकगण को रुपये 9,70,000/— (अक्षरी नौ लाख सत्तर हजार रुपये) की राशि एक मुश्त अधिनिर्णय दिनांक से 2 माह की अवधि में अदा करे।

ब— आवेदकगण को विपक्षी क्रमांक 1 लगायत 3 उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक 4-1-2016 से अदायगी दिनांक तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अदा करें।

- स— आवेदकगण को अदा की गई अंतरिम सहायता राशि की कटौती देय राशि में से की जाये एवं ब्याज की गणना भी अवशेष राशि पर की जाये।
- द— क्षतिपूर्ति राशि का व्यय एवं वितरण अवार्ड के चरण कं. 17 के अनुसार किया जावेगा।
- य— अभिभाषक शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया जाता है। विपक्षीगण आवेदक का व्यय वहन करेंगे।

तदनुसार व्यय-तालिका बनाई जाए।

19— अधिनिर्णय की प्रति नियमानुसार प्रदान की जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

(अखिलेश जोशी)
प्रथम अपर मो.दु.दावा अधिकरण,के
मो.दु.दावा अधिकरण,बड़वानी

(अखिलेश जोशी)
प्रथम अपर मो.दु.दावा अधिकरण,के
प्रथम अपर मो.दु.दावा अधिकरण,बड़वानी

प्रथम अपर